

**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

निर्णय की तिथि : 12 जुलाई, 2024

रि.या.(सि) 3504/2024, सि.वि. आ. 14299/2024 व 17814/2024

महिपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री प्रदीप कुमार यादव, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....डी.एफ.सी.सी.आई.एलस

द्वारा : सुश्री अवश्रेया प्रताप सिंह रूडी वरिष्ठ

श्री वी.एस.आर. कृष्णा और श्री वी.  
शशांक कुमार, प्रत्यर्थी-3 के  
अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री ज्योति सिंह

**निर्णय**

**ज्योति सिंह, न्या. (मौखिक)**

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 226 के तहत निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है है :-

“(क) डी.एफ.सी.सी.आई.एलस को प्रश्न संख्या 74 में उत्तर सही है घोषित करने और तदनुसार चिह्नित करने का निर्देश देते हुए

परमादेश के रूप में एक रिट या निर्देश जारी करें।

(ख) डी.एफ.सी.सी.आई.एल. को यह निर्देश देने के लिए कि वे यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्न संख्या 74 की प्रकृति में रिट या निर्देश जारी करें।

(ग) डी.एफ.सी.सी.आई.एल. को याचिकाकर्ता को प्रक्रिया अर्थात् दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षाओं के लिए योग्य घोषित करने करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट या निर्देश जारी करें।”

2. वर्तमान रिट याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक और प्रासंगिक तथ्यात्मक मैट्रिक्स जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('डी.एफ.सी.सी.आई.एल.') नियंत्रण के तहत एक अनुसूची 'ए' का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। विज्ञापन संख्या 01/डीआर/ 2023 दिनांकित 20.05.2023 के द्वारा, डी.एफ.सी.सी.आई.एल. ने विभिन्न विषयों में कार्यपालक और कनिष्ठ कार्यपालक कार्यपालक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। कार्यपालक (सिविल) पद कोड-11 के लिए कुल विज्ञापित रिक्तियाँ 50 थीं, जिसमें आरक्षित आरक्षित रिक्तियाँ शामिल थीं। याचिकाकर्ता ने ओबीसी श्रेणी के तहत कार्यपालक कार्यपालक (सिविल) पद के लिए आवेदन किया था। उक्त पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट यानी सीबीटी-1 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) दिनांक 25.08.2023 को

आयोजित की गई थी और परिणाम दिनांक 14.11.2023 को घोषित किया गया गया था। याचिकाकर्ता ने 100 अंकों में से 76.7677 अंक प्राप्त किए। उसे सीबीटी-2 में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जो दिनांक 17.12.2023 को निर्धारित किया गया था।

3. यह प्रकथन किया गया कि विज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजियों को डी.एफ.सी.सी.आई.एल. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना था। उम्मीदवार अस्थायी उत्तर कुंजियों को देख सकते थे और निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते थे। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले आपत्तियों पर विचार किया जाना था और उनकी जाँच की जानी थी। यह प्रावधान किया गया था कि आपत्ति प्रबंधन अभ्यास के बाद, यदि कोई प्रश्न गलत पाया जाता है जैसे अस्पष्ट प्रश्न/अनेक सही विकल्प/कोई सही विकल्प नहीं/प्रश्नों में त्रुटि आदि, तो ऐसे प्रश्नों को मूल्यांकन के दायरे से बाहर कर दिया जाना था।

4. याचिकाकर्ता ने बताया कि सीबीटी-2 के आयोजित होने के बाद, दिनांक 23.12.2023 को डी.एफ.सी.सी.आई.एल. ने एक उत्तर पत्रिका जारी की, जिसमें बताया गया कि यदि कोई प्रश्न या उत्तर गलत था, तो इसे डी.एफ.सी.सी.आई.एल. वेबसाइट पर चुनौती दी जा सकती थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रश्न संख्या 74 के दो उत्तर/बहु विकल्प थे और इसलिए, उसने दिनांक दिनांक 24.12.2023 को यह दर्शाते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं कि

प्रश्न अस्पष्ट था/इसके कई सही विकल्प थे। सीबीटी-2 का परिणाम दिनांक 09.02.2024 को घोषित किया गया और याचिकाकर्ता ने 120 अंकों में से 102.75 अंक प्राप्त किए, जबकि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 103.75 103.75 था। हालांकि, उसकी आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए दिनांक 11 और 12 मार्च, 2024 को बुलाया गया, जिससे याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया गया था कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजियाँ डी.एफ.सी.सी.आई.एल. की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी और यदि कोई प्रश्न या उत्तर गलत पाया गया, तो उम्मीदवार ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका उत्तर-कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले परीक्षण किया जाएगा और यदि कोई प्रश्न गलत पाया गया, तो उसे मूल्यांकन के दायरे से हटा दिया जाएगा। चूंकि प्रश्न संख्या 74 अस्पष्ट था/इसमें अनेक सही विकल्प थे, इसलिए याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन उनका सही तरीके तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया। न्यायालय का ध्यान प्रश्न संख्या 74 की ओर आकर्षित करते हुए, यह बताया गया कि याचिकाकर्ता ने विकल्प 3 यानी 'विशिष्ट घनत्व' को चुना था और यह सही उत्तर था। इस दावे का समर्थन करने करने के लिए गुजरात लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ एवं

मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में क्रमशः प्रश्न संख्या 276 और 80 के समान प्रश्नों का हवाला दिया गया है। इसके अलावा, डॉ. बी.सी. पुनमिया, इंजी. अशोक कुमार जैन और डॉ. अरुण कुमार जैन द्वारा लिखित "सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशंस" नामक पाठ्यपुस्तक और गोपाल रंजन और ए.एस.आर. राव द्वारा लिखित "बेसिक एंड अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स" नामक पुस्तक का हवाला दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पाइक्नोमीटर विधि का उपयोग मृदा के विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। दलील यह है कि याचिकाकर्ता ने सही उत्तर दिया था और वैकल्पिक रूप से, चूंकि पाइक्नोमीटर विधि का उपयोग मृदा में जल की मात्रा और इसके विशिष्ट घनत्व दोनों को मापने के लिए किया जाता है, इसलिए प्रश्न में अनेक सही विकल्प होते हुए उसे मूल्यांकन से हटा दिया जाना चाहिए था। संदर्भ के लिए, प्रश्न संख्या 74 निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :-

*“74. पाइक्नोमीटर विधि का उपयोग मृदा के नमूने का निम्नलिखित में से कौन सा गुण निर्धारित करने के लिए किया जाता है?*

1. घनत्व सूचकांक
2. पानी की मात्रा
3. विशिष्ट घनत्व
4. इन-सीटू घनत्व

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्न

याचिकाकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। याचिकाकर्ता ने ओबीसी श्रेणी में में आवेदन किया था, जिसके लिए कट-ऑफ अंक 103.75 थे और याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता ने 102.75 अंक प्राप्त किए, इस प्रकार वह केवल एक अंक के संकीर्ण अंतर से चूक गया। यदि प्रश्न संख्या 74 को अस्पष्ट होने के कारण मूल्यांकन के दायरे से हटा दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता को  $102.75 + 0.25$  (नकारात्मक अंकन) के लिए पात्र ठहराया जाएगा और उसका स्कोर 103 103 होगा। वैकल्पिक रूप से, प्रत्येक उम्मीदवार को समान अंक दिए जाएं, ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता का स्कोर 104 अंक ( $102.75 + 1 + 0.25$ ) होगा होगा और किसी भी मामले में, उसका स्कोर 103.75 अंकों के कट-ऑफ स्कोर से ऊपर होगा।

7. डी.एफ.सी.सी.आई.एल. की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है। प्रतिशपथ पत्र पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया को एक प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजन एजेंसी यानी एड.सी.आई.एल, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न पीएसयू को नियुक्त करके आयोजित किया गया था। सीबीटी के आयोजन के बाद, आपत्ति प्रबंधन पोर्टल खोला गया और उम्मीदवारों द्वारा दी गई आपत्तियों की विषय विशेषज्ञ (एसएमई) द्वारा जांच की गई। अपनी राय/टिप्पणियाँ देने से पहले प्रत्येक आपत्ति की एसएमई द्वारा गहन जांच की गई। प्रश्न संख्या 74 के संबंध में, एसएमई की राय थी कि प्रश्न सही था क्योंकि पायक्नोमीटर विधि का उपयोग

केवल मोटे कण वाली मृदा के विशिष्ट घनत्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रश्न संख्या 74 मिट्टी के नमूनों पर एक सामान्य प्रश्न था। पायक्नोमीटर सभी प्रकार की मृदा के विशिष्ट घनत्व को निर्धारित नहीं करता है। यह तर्क दिया गया है कि प्रश्न संख्या 74 वास्तव में एक ट्रिक प्रश्न था जिसके लिए उम्मीदवारों द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण और बुद्धिमत्ता का आवश्यक था। याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत पाठ्यपुस्तकें उनके मामले में मदद करती हैं क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पायक्नोमीटर का उपयोग केवल मोटे कण वाली मृदा के विशिष्ट घनत्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञ के आकलन को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधिवक्ता करते हैं कि याचिका खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि यह न्यायालय विशेषज्ञ की राय के स्थान पर अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

8. पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और उनकी प्रतिद्वंद्वी दलीलों की जांच की गई।

9. मौजूदा मामले की जांच के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह आवश्यक है कि कि इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक मामलों, विशेष रूप से परीक्षाओं से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप के दायरे और परिधि को स्पष्ट किया जाए। यह निर्विवाद है कि न्यायालय के पास परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन या आकलन करने की विशेषज्ञता नहीं है और प्रश्नों के उत्तरों का

मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों के स्वतंत्र आकलन, विश्लेषण और निष्कर्षों पर टिप्पणी करने का दायरा और भी अधिक सीमित और परिधि में बंधा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार टिप्पणी की है कि संवैधानिक न्यायालयों को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित उत्तर कुंजी की सत्यता को चुनौती देने वाले मामलों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

**रण विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2018) 2 एससीसी 357** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कई पूर्व-निर्णयों का संदर्भ लेने के बाद, कानूनी स्थिति का सार इस प्रकार प्रस्तुत किया :-

**“30. अतः इस विषय पर कानून काफी स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर प्रकाश डालने का प्रस्ताव करते हैं। वे हैं :-**

**30.1. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियम अधिकार के रूप में किसी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित**

**30.2. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियम किसी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (अलग से इसे निषिद्ध करने से भिन्न), तो न्यायालय केवल तभी पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति दे सकता है यदि, बिना किसी "अनुमानात्मक तर्क प्रक्रिया या तर्कसंगतता की प्रक्रिया" के और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों**



**30.3.** न्यायालय को किसी भी स्थिति में उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए—इस विषय में इसकी कोई विशेषज्ञता नहीं है और उत्तम होगा कि शैक्षणिक मामलों

**30.4.** न्यायालय को कुंजी के उत्तरों की सत्यता की उपधारणा

**30.5.** संदेह की स्थिति में, लाभ परीक्षा प्राधिकारी को जाना चाहिए बजाय उम्मीदवार को।”

10. अपने अध्यक्ष के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और अन्य बनाम राहुल सिंह और अन्य, (2018) 7 एससीसी 254 में, सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप करने की न्यायालय की सीमा और शक्ति की जांच कर रहा था। न्यायालय ने उप-कुलपति के माध्यम से कानपुर विश्वविद्यालय, और अन्य बनाम समीर गुप्ता और अन्य, (1983) 4 एससीसी 309 और रण विजय सिंह (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्णयों पर भरोसा किया। रण विजय सिंह (पूर्वोक्त) मामले में अनुच्छेद 30 और 32 का संदर्भ दिया गया था ताकि यह प्रदर्शित और उजागर किया जा जा सके कि संवैधानिक न्यायालयों को न्यायिक संयम क्यों बरतना चाहिए। राहुल सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णय से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित हैं :-

“11. हम ऐसे मामलों में संवैधानिक न्यायालयों को संयम बरतने के कारणों को दर्शाने वाले अनुच्छेद 31 और 32 में निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं : (रण विजय सिंह मामला

[रण विजय सिंह बनाम उ.प्र. राज्य, (2018) 2 एससीसी 357 : (2018) 1 एससीसी (एलएंडएस) 297], एससीसी पृष्ठ 369)

“31. हमारी ओर से हम यह जोड़ सकते हैं कि उत्तर पुस्तिका पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करने या न करने का निर्देश देने के मामले में सहानुभूति या करुणा की कोई भूमिका नहीं होती है। यदि परीक्षा प्राधिकारी द्वारा कोई त्रुटि की जाती है, तो उम्मीदवारों के पूरे निकाय को नुकसान होता है। केवल कुछ उम्मीदवारों के निराश या असंतुष्ट होने के कारण या उन्हें एक गलत प्रश्न या एक गलत उत्तर के कारण कुछ अन्याय होने का अनुमान होने के कारण पूरी परीक्षा प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतरना चाहिए। सभी उम्मीदवार समान रूप से नुकसान सहते हैं, हालांकि कुछ को अधिक नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि क्योंकि गणितीय सटीकता हमेशा संभव नहीं होती है। इस न्यायालय ने इस गतिरोध में एक रास्ता दिखाया है - संदेहास्पद या कष्टकारक प्रश्न को निकाल देना।

32. यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद, जिनमें से कुछ का ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायालयों द्वारा परीक्षाओं के परिणामों में हस्तक्षेप किया जाता है। यह परीक्षा प्राधिकारियों को एक ऐसी अवांछनीय स्थिति में रखता है जहाँ वे जाँच के अंतर्गत होते हैं और न कि उम्मीदवार। इसके अतिरिक्त, एक बड़ी और कभी-कभी लंबी परीक्षा प्रक्रिया अनिश्चितता की स्थिति के साथ समाप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी में अत्यधिक प्रयास करते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षा प्राधिकारियों ने भी परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए उतने ही बड़े प्रयास किए हैं। कार्य की विशालता बाद में कुछ खामी

खामी को प्रकट कर सकती है, लेकिन न्यायालय को परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा स्थापित आंतरिक जाँच और संतुलन पर विचार करना चाहिए, इससे पहले कि वे उन उम्मीदवारों के और परीक्षा प्राधिकारियों के प्रयासों में हस्तक्षेप करें। वर्तमान अपीलें इस प्रकार के हस्तक्षेप के परिणाम का एक आदर्श उदाहरण हैं जहाँ आठ साल बाद भी परीक्षा परिणाम में अंतिमता नहीं है। परीक्षा प्राधिकारियों के अलावा, उम्मीदवार भी यह सोचते रहते हैं कि परीक्षा का परिणाम सुनिश्चित है या नहीं—कि वे पास हुए हैं या नहीं; क्या उनका परिणाम न्यायालय द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा; क्या उन्हें कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं; और क्या उनकी भर्ती होगी या नहीं। यह असंतोषजनक स्थिति किसी को भी लाभ नहीं नहीं पहुँचाती और इस प्रकार की अनिश्चितता की स्थिति उलझन को और भी खराब कर देती है। इसका समग्र और बड़ा प्रभाव यह होता है कि जनहित को नुकसान पहुँचता है।”

12. कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि उम्मीदवार पर न केवल यह दिखाने की जिम्मेदारी होती है कि कुंजी का उत्तर गलत है, बल्कि यह भी कि यह एक प्रत्यक्ष गलती है जो पूरी तरह से स्पष्ट है और यह दिखाने के लिए कोई अनुमानी प्रक्रिया या तर्क की आवश्यकता नहीं है कि कुंजी का उत्तर गलत है। संवैधानिक न्यायालयों को ऐसे मामलों में अत्यधिक संयम बरतना चाहिए और कुंजी के उत्तरों की सत्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से बचना चाहिए। कानपुर विश्वविद्यालय मामले में [कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता, (1983) 4 एससीसी 309], न्यायालय ने निम्न प्रणाली की सिफारिश की :-

(1) मॉडरेशन;

- (2) प्रश्नों में अस्पष्टता से बचना;
- (3) संदिग्ध प्रश्नों को बाहर करने के लिए शीघ्र निर्णय लिए जाने चाहिए और ऐसे प्रश्नों को कोई अंक नहीं दिए जाने चाहिए।

13. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, प्रथम कुंजी उत्तरों की सूची को प्रकाशित करने से पहले आयोग ने दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा कुंजी उत्तरों का मॉडरेशन करवाया था। इसके बाद, आपत्तियों को आमंत्रित किया गया और आपत्तियों की जांच के लिए 26-सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस अभ्यास के बाद, समिति समिति ने सिफारिश की कि 5 प्रश्नों को हटाया जाए और 2 प्रश्नों में, कुंजी उत्तरों को बदला जाए। यह माना जा सकता है कि इन समितियों में उन विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ थे जिनके लिए परीक्षार्थियों परीक्षार्थियों की परीक्षा ली गई थी। न्यायाधीश अकादमिक मामलों में विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकते। जब तक उम्मीदवार यह नहीं दिखा देता कि कुंजी उत्तर स्पष्ट रूप से गलत हैं, न्यायालय अकादमिक क्षेत्र में नहीं जा सकते, दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के लाभ और हानि को तौल नहीं सकते और फिर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कौन सा उत्तर बेहतर या अधिक सही है।”

11. विकेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य,  
(2021) 2 एससीसी 309 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार दोहराया :-

“16. इस न्यायालय द्वारा अधिकथित उपरोक्त कानून के दृष्टिकोण खंड न्यायपीठ विशेषज्ञ समिति के निर्णय से भिन्न निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए प्रश्नों और उत्तर कुंजी की शुद्धता की जाँच करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी, जैसा कि उनके दिनांक 12.03.2019 के निर्णय निर्णय में किया गया था [भुंडा राम बनाम राजस्थान राज्य, 2019

एससीसी ऑनलाइन राज 7416]। अपीलकर्ताओं ने रिचल बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग [रिचल बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, (2018) 8 एससीसी 81: (2018) 2 एससीसी (एल एंड एस) 456] पर भरोसा किया। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने केवल एक विशेषज्ञ समिति की राय प्राप्त करने के बाद चयन प्रक्रिया प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था, लेकिन स्वयं प्रश्नों और उत्तरों की सत्यता पर विचार नहीं किया था। इसलिए, उक्त निर्णय इस मामले में विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक नहीं है।”

## 12. तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के. श्याम सुंदर और अन्य, (2011)

**8 एससीसी 737** में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की :-

“42. निस्संदेह, न्यायालय के पास विशेष रूप से शुद्ध अकादमिक शैक्षणिक मामलों की नीतियों से संबंधित विवादों में विशेषज्ञता की कमी है। इसलिए, सामान्यतः इसे विशेषज्ञ निकाय की राय का पालन पालन करना चाहिए। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी.डी. गोविंदा राव [एआईआर 1965 एससी 491] (एआईआर पृ. 496, पैरा 13) में अभिनिर्धारित किया कि "सामान्यतः अदालतों को विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए।" यह आमतौर पर बुद्धिमानी और सुरक्षित होगा कि न्यायालय ऐसे निर्णय विशेषज्ञों पर छोड़ दें जो इस न्यायालय द्वारा नीलिमा मिश्रा बनाम हरिंदर कौर पेंटल [(1990) 2 एससीसी 746: 1990 एससीसी (एल एंड एस) 395: (1990) 13 एटीसी 732: एआईआर 1990 एससी 1402], विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाम हावड़ा गणतांत्रिक नागरिक समिति समिति [(2010) 3 एससीसी 732: एआईआर 2010 एससी 1285], बसावैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच.एल. रमेश [(2010) 8 एससीसी

372: (2010) 2 एससीसी (एल एंड एस) 640] और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम हिमाचल प्रदेश निजी व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र संघ [(2011) 6 एससीसी 597] में दोहराया गया है।”

13. उपरोक्त निर्णयों की श्रृंखला के को देखते हुए, जिनमें से कुछ का ऊपर उल्लेख किया गया है, इससे उभरती कानूनी स्थिति यह है कि न्यायालयों को अकादमिक मामलों में हस्तक्षेप करने में संयम बरतना चाहिए, जिसमें परीक्षाओं परीक्षाओं से संबंधित मामले भी शामिल हैं, हालांकि अपवादस्वरूप मामलों में जहां प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत पाए जाते हैं, उम्मीदवार को इसके होने वाले अन्याय का निवारण करना चाहिए व उसे इससे मुक्त करना चाहिए। यहां तक कि ऐसे मामलों में भी, कार्रवाई की दिशा यह होनी चाहिए कि उत्तर कुंजी/विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञों को संदर्भित किया जाए और अगर विशेषज्ञों की राय में, मॉडल उत्तर स्पष्ट रूप से गलत हैं और कुछ अन्य विकल्प सही हैं और उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तरों को सही उत्तर कुंजी के संदर्भ में पुनःमूल्यांकन करने की आवश्यकता है या प्रश्न अस्पष्ट हैं या दिए गए में से कई उत्तर सही हैं, तो प्रश्नों को हटाना आवश्यक है और उम्मीदवारों का मूल्यांकन शेष प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **कविता भार्गव बनाम रजिस्ट्रार परीक्षा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज.), 2022 एससीसी ऑनलाइन राज 3225** में लिया गया है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28.04.2022 को निर्णीत **कोमल सोनी बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं**

सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा होगा :-

*“वर्तमान मामले में, कुछ प्रश्नों और पाए गए उत्तरों में कुछ विसंगतियाँ थीं और इसलिए मामला विशेषज्ञ समिति को संदर्भित किया गया। विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और चार प्रश्नों को हटाने का प्रस्ताव दिया। इसलिए, जब विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए हाई कोर्ट द्वारा एक सचेत लिया गया और चार प्रश्नों को हटा दिया गया, तो हम इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते। व्यक्तियों द्वारा उठाई आपत्तियों को विशेषज्ञ समिति द्वारा विस्तार से निपटाया गया और केवल इसके बाद ही चार प्रश्नों को हटाने का सुझाव दिया गया।”*

14. स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अब मैं वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच कर सकता हूँ, जो सीबीटी-2 में प्रश्न संख्या 74 तक सीमित है। सामान्य रूप से समझा जाए तो याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रश्न संख्या 74 अस्पष्ट/दो सही उत्तर वाला है और इस प्रकार इसे अंकों के मूल्यांकन से पहले हटा दिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता का कहना है कि पायक्नोमीटर विधि का उपयोग मिट्टी के नमूनों के विशिष्ट घनत्व और जल की मात्रा दोनों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसलिए, 'विशिष्ट घनत्व' का विकल्प सही उत्तर था। वैकल्पिक रूप से, प्रश्न के दो सही उत्तर थे और इस प्रकार, यह अस्पष्ट था क्योंकि उम्मीदवारों के पास एक से अधिक सही उत्तर चुनने का विकल्प नहीं था। जैसा

कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रस्तुति को दो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और कुछ पाठ्यपुस्तकों में कथित रूप से समान प्रश्नों के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है।

15. प्रस्तुति की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, प्रश्न No.74 के संबंध में एसएमई की राय का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है :-

*“पाइक्नोमीटर विधि केवल मोटे कण वाली मृदा के विशिष्ट घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोगी है। घनत्व बोतल विधि मिट्टी के नमूने के विशिष्ट घनत्व को निर्धारित करने की मानक विधि है। घनत्व बोतल विधि विशिष्ट घनत्व के लिए सबसे सटीक विधि है। उम्मीदवार द्वारा दिया गया संदर्भ केवल मोटे कण वाली मृदा पर लागू होता है। - दिए गए प्रश्न में हम सामान्य मामले की बात कर रहे हैं, विशेष मामले की बात नहीं कर रहे हैं। पाइक्नोमीटर विधि का उपयोग केवल मोटे कण वाली मिट्टी के विशिष्ट घनत्व के निर्धारण के लिए किया जा सकता है, जबकि यह विधि सभी प्रकार की मृदा में जल की मात्रा निर्धारण के लिए उपयोग की जा सकती है। इसलिए दिए गए संदर्भों के अनुसार आपत्ति अमान्य है।”*

16. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति की जांच के बाद, एसएमई ने इसे सावधानीपूर्वक जांचा और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्न सही था। विशेषज्ञ राय पर न्यायालयों के हस्तक्षेप के संबंध में न्यायिक निर्णयों की बहुलता के प्रकाश में, इस न्यायालय के पास विशेषज्ञता की कमी के कारण हम हम अपने विचारों को प्रतिस्थापित करने में असमर्थ हैं। एसएमई ने देखा कि पाइक्नोमीटर विधि का उपयोग केवल मोटे कणों वाली मृदा के विशिष्ट घनत्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दिए गए प्रश्न सामान्य मामले का



उल्लेख कर रहे थे और विशेष मामले का नहीं, जबकि उम्मीदवार ने विशिष्ट घनत्व का उल्लेख किया, जो केवल तब लागू होता है जब नमूना मोटे कणों वाला हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पाइक्नोमीटर विधि का उपयोग 'केवल' मोटे मोटे कणों वाली मृदा के विशिष्ट घनत्व निर्धारण के लिए किया जाता है, जबकि जबकि इस विधि का उपयोग 'सभी प्रकार की मृदा' में जल की मात्रा के निर्धारण निर्धारण के लिए किया जा सकता है और इसलिए, आपत्ति अमान्य थी। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कुछ भी अभिलेख पर नहीं रखा गया है जो न्यायालय को एक अलग राय पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता हो। जहां तक दो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न संख्या 276 और 80 पर निर्भरता का संबंध है, मेरी राय में, ये दोनों प्रश्न पूरी तरह से अलग हैं और सही उत्तर के रूप में दो विकल्पों की अनुमति देते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार हैं :-

**“प्रश्न संख्या 276**

276. पायक्नोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्धारण निर्धारण के लिए किया जाता है?

(i) विशिष्ट घनत्व (ii) नमी की मात्रा

(iii) शुष्क घनत्व (iv) रिक्त अनुपात

(A) केवल (i) (B) (i) और (ii)

(C) (i), (ii) और (iii) (D) (i), (ii), (iii) और (iv)

**प्रश्न संख्या 80**

80) एक पायक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है

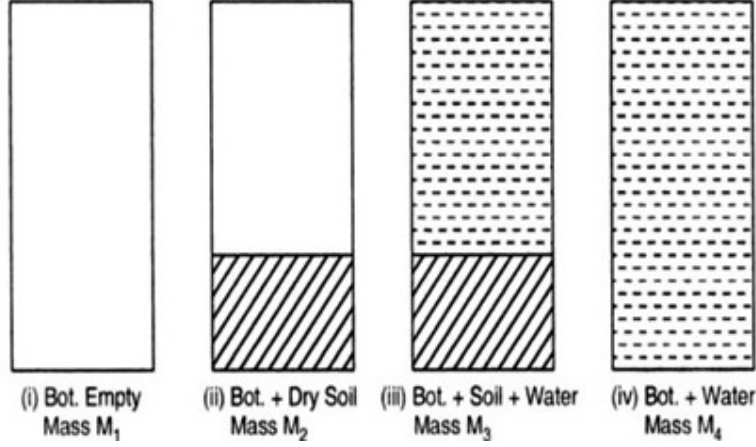
- 1) रिक्त अनुपात और शुष्क घनत्व के लिए 2) जल की मात्रा  
और रिक्त अनुपात के लिए
- 3) विशिष्ट घनत्व और शुष्क घनत्व के लिए 4) जल की मात्रा  
और विशिष्ट घनत्व  
के लिए

17. जैसा कि प्रश्नों को सरलता से पढ़ने पर देखा जा सकता है, उम्मीदवार से पूछा गया था कि पाइक्नोमीटर द्वारा मृदा के कौन से गुण सामान्यतः निर्धारित किए जा सकते हैं और सही विकल्प क्रमशः '(B) (i) और (ii)' और '4) जल की मात्रा और विशिष्ट घनत्व' थे। अतः, प्रश्नों में कोई समानता नहीं है। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत पाठ्यपुस्तकों के संबंधित पृष्ठों की करने पर भी उनके मामले को कोई बल नहीं मिलता, बल्कि यह एसएमई की राय का समर्थन करती है कि पाइक्नोमीटर केवल मोटे कणों वाली मृदा के विशिष्ट घनत्व को निर्धारित करता है। उल्लेखनीय है कि एसएमई ने अपनी राय राय प्रस्तुत करते समय, "सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन" शीर्षक वाली पाठ्यपुस्तक के पैराग्राफ 3.3 पर भी भरोसा किया, जिसके लेखक इंजी. अशोक अशोक कुमार जैन, डॉ. अरुण कुमार जैन और डॉ. बी.सी. पुर्निया हैं, जिसका संबंधित अंश इस प्रकार है :-

### 3.3. विशिष्ट घनत्व

मृदा के ठोस कणों का विशिष्ट घनत्व इनके द्वारा निर्धारित किया

सबसे सटीक और सभी प्रकार की मृदाओं के लिए उपयुक्त है। फ्लास्क या पाइक्नोमीटर का उपयोग केवल मोटे कणों वाली मृदा के लिए किया जाता है। घनत्व बोटल विधि प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली मानक विधि होती है।



चित्र 3.3 विशिष्ट घनत्व गणना

18. पाठ्यपुस्तकों पर आधारित उपरोक्त विशेषज्ञ राय के अनुसार, यह न्यायालय यह मानने में असमर्थ है कि प्रश्न संख्या 74 अस्पष्ट था/इसके दो सही उत्तर थे और या याचिकाकर्ता द्वारा चुना गया विकल्प सही विकल्प था। याचिका गुणागुण के अभाव में खारिज की जाती है। लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

ज्योति सिंह, न्या.

12 जुलाई, 2024/केकेएस/बीएसआर



*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।